

कारिगर क्रेडिट कार्ड स्कीम (ACC: ARTISAN CREDIT CARD SCHEME)

मंत्रालय

वस्त्र मंत्रालय - विकास आयुक्त का कार्यालय (हस्तशिल्प)

इसके बारे में

कारिगरों के लिए समय पर निवेश और कार्यशील पूंजी हेतु उनकी ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति में वित्तीय सहायता की प्रक्रिया पूरी करने के लिए ही कारिगर क्रेडिट कार्ड बनाया गया है।

लाभ

ऋण का उद्देश्य

- कार्यशील पूंजी की जरूरत
- विनिर्माण प्रक्रिया को चलाने के लिए आवश्यक उपकरण और मशीनों की खरीद

सुविधा के प्रकार : सावधि ऋण और नकद उधार

ऋण की राशि अधिकतम 2 लाख रुपये

सीमा

- 25000 रुपये तक: कुछ भी नहीं
- 25000 रुपये से ऊपर: 20% फ्लोटिंग ब्याज दर और आधार दर* से जुड़ा हुआ।

पुनर्भुगतान की अवधि

- सावधि ऋण 3 साल में प्रतिदेय।
- नकद ऋण सीमा (cash credit limit) का 3 वर्षों में पुनः निर्धारण होगा जो कि खाते के संतोषजनक आचरण और इसकी वार्षिक समीक्षा पर आधारित होगा।

किसी और सहायक की आवश्यकता नहीं है

ऋण लेने वालों का फोटो पहचान पत्र और पासबुक जारी किया जाएगा।

पात्रता

- हस्तशिल्प कारिगर
- नई इकाइयां भी पात्र होंगे
- विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के यहां पंजीकृत लाभार्थी समूह गारंटी योजना के तहत बीमा कवर के पात्र होंगे, जिसके प्रीमियम का सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा।
- जो लोग पहले से ही सरकारी ऋण-योजना में शामिल हैं, वे पात्र नहीं हैं

आवेदन कैसे करें

- आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर उसमें बैंक की क्षेत्रीय शाखा से आवश्यक ऋण की राशि का उल्लेख करें
- इसे भरें और बैंक कार्यालय या स्थानीय हस्तशिल्प या कुटीर और लघु उद्योगों के कार्यालय में जमा करें।
- वे आवेदक के लिए सिफारिश कर देंगे और संबंधित बैंक में जमा कर देंगे।

इस योजना को लागू करने वाले बैंकों की सूची

- यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- यूको बैंक
- बैंक ऑफ बड़ौदा
- इलाहाबाद बैंक
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र
- ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

8. इंडियन ओवरसीज बैंक
9. केनरा बैंक
10. बीजीवीबी, इत्यादि